04.6.25
7/11/22
14/11/22 13/7/23 08/8/23
18/8/2023 26/8/2023
6/10/23 2022/92

(नियम 26)

आज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

बनवारी लाल वगैरा बनाम पतनारायण

अपील प्रकरण सं0 11 / 2022

अधिवक्ता अपीलार्थी :–श्री भीमसैन मेहरड़ा 8875420605 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट :– नलकरणसिंह बराड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
2.04.2022	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 11.05.2022 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	-
11.05.22	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता श्री नलकरनसिंह बराड़ द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत, शामिल हो। पत्रावली वास्ते रिकॉर्ड तलबी दिनांक 6/6/22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	पत्र 771 17/5
6/6/22	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार [illegible] के पत्रांक 738 दि. 19.5.22 द्वारा मूल पत्रावली प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/6/22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
20/6/22	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/6/22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
28/6/22	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ...अवकाश... है। पत्रावली दिनांक 7/7/22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
7/7/22	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 20/7/22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
20/7/22	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/7/22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
27/7/22	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 28/7/22 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	

27.2.26 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2025 पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलांट कालूराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस के सम्बन्ध में छानबीन करने के बाद ज्ञात हुआ कि अपीलांट का प्रथम श्रेणी का वारिस रामपाल है, अन्य वारिस का ज्ञात नहीं है। अतः प्रथम श्रेणी का वारिस होने के कारण प्रार्थी बतौर अपीलांट प्रतिस्थापित किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपीलांट कालूराम का देहान्त होना अंकित किया है, जबकि उसके समर्थन में कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की है, ना ही कोई कालूराम के विधिक वारिसान का वारिस प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है, ऐसी सूरत में अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है। परिसीमा अधिनियम 1963 के तीसरे खण्ड–आवेदन के भाग 1–विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी वाद पत्र, अपील में वादी, अपीलार्थी , प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के 90 दिन के अन्दर–अन्दर माननीय न्यायालय में उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश करना अनिवार्य है, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ना तो मृतक कालूराम के देहान्त की दिनांक अंकित की है व ना ही मृतक कालूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर पेश किया है, ऐसी सूरत में अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है। अपीलांट बनवारी लाल की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना पत्रावली पर दी गई थी, लेकिन आज तक बनवारी लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र या उनके वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु कोई भी वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है, जिसके अभाव में अपील पूर्णतः अबेट हो चुकी है। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में न तो कालूराम की मृत्यु दिनांक अंकित की है व ना ही यह अंकित किया है कि कालूराम के विधिक वारिसान कौन–कौन है, ना ही प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है तथा ना ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का शपथ पत्र पेश किया है, ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है तथा अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाकर अपील को अबेट फरमाया जावें।

पक्ष

ली

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो उसमें वर्णित कारणों के मध्यनजर पाया कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 12.04.2022 को अपीलार्थी कालूराम के अंगूठा निशान से पेश की गई है। जबकि अपील में प्रथम अपीलांट बनवारी लाल पुत्र वीरूराम एवं द्वितीय अपीलार्थी कालुराम पुत्र बलंवतराम है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष अपील 28.10.2021 को पेश की गई थी। उक्त दोनो अपीलों में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री भीमसैन मेहरड़ा ही थे। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 21.11.2022 में उपस्थित होकर नोटेड करते है कि अपीलार्थी बनवारी लाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में वर्ष 2022 से लेकर आज दिनांक तक कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान की सूची आदि पेश नहीं की गई। उसके उपरान्त आदेशिका दिनांक 19.12.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 प्रस्तुत किया कि अपीलांट कालूराम मर चुका है। जिसके साथ कोई मृत्यु प्रमाण पत्र एंव कालू राम के वारिसान की सूची पेश नहीं की गई हैं, ना ही उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि कालूराम की मृत्यु कब हुई। परिसीमा अधिनियम 1963 के तीसरे खण्ड–आवेदन के भाग 1–विनिर्दिष्ट मामलों में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी वाद पत्र, अपील में वादी, अपीलार्थी , प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के 90 दिन के अन्दर–अन्दर माननीय न्यायालय में उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश करना अनिवार्य है, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ना तो मृतक बनवारी लाल व कालूराम के देहान्त की दिनांक अंकित की है व ना ही मृतक कालूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर पेश किया है, ऐसी सूरत में अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है। फलस्वरूप अपीलार्थीगण की अपील अबैट होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner